



29.3.23

C⁰

वकील की ओर से प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली वैसी
में ली गई। वकील द्वारा प्रार्थना पत्र अंतुत कर निवेदन किया
है कि वकील इस वाद में जले कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता
है तथा पुनः वाद पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए
नोट बैंक के माध्यम पर खासिय करमाने के आदेश करमावे।
वकील का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पुनः वादपत्र
पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए नोट बैंक के
माध्यम पर वादपत्र इसी स्तर पर खासिय किया जाता है।
पत्रावली बाद तस्वीब तकमील टोककर दायित्व दफ्तर हो।
निर्णय लिखा जाकर मुले न्यायालय में बुनाया गया।


(अमित बिश्नोई)
R.A.S.


9danti land
07/04
Jankar